143 144

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7110-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-8-2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 140/बी-103/15-16.

---

1. राजेन्द्र कुमार पिता भगवान दास खत्री
2. शिवकुमार पिता भगवान दास खत्री
   प्रतिष्ठान दुकान नम्बर 72, शिवाजी मार्केट
   इतवारा बाजार, होशंगाबाद
   तहसील व जिला होशंगाबाद ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक होशंगाबाद
   तहसील व जिला होशंगाबाद
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद, होशंगाबाद ....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 9-8-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 नगर पालिका परिषद के आधिपत्य की शिवाजी मार्केट, होशंगाबाद स्थित दुकान क्रमांक 72 आवेदकगण द्वारा नीलामी/प्रीमियम राशि 2,76,000/- मासिक किराया 613/- रूपये में उच्च बोली लगाकर 35 माह की अवधि हेतु किराये पर ली गई । उपरोक्त प्रश्नाधीन सम्पत्ति के सम्बंध में अनावेदक क्रमांक 2 एवं आवेदकगण के मध्य 10/- रूपये के मुद्रा पत्र पर दस्तावेज निष्पादित किया गया । उक्त दस्तावेज न्यून स्टाम्पित पाये जाने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दस्तावेज परिबद्ध किया जाकर प्रकरण क्रमांक 140/बी-103/15-16 दर्ज कर दिनांक 9-8-

2016 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 20,984/- एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत रूपये 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा जिस दस्तावेज को परिबद्ध किया गया है, उसके संबंध में कोई विवरण क्रमांक, दिनांक आदि का उल्लेख नहीं किये जाने से उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 नगर पालिका परिषद को विहित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाना था, किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं करने से उनके मध्य दस्तावेज निष्पादित नहीं होने के कारण उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है । तर्क यह भी कहा गया कि किरायेदारी अनुबंध का आरम्भ नीलामी दिनांक से 15 दिवस के अन्दर होने के कारण तत्समय प्रचलित दर से उचित मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि दुकान की नीलामी वर्ष 1992 में होने पर तत्समय प्रचलित दर पर जो मुद्रांक शुल्क अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा लगाया गया है, वह उचित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1992 के नियम के अनुसार अधिनियम के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक एवं पांच वर्ष से कम पट्टे पर मुद्रांक शुल्क वार्षिक भाटक पर 4 प्रतिशत की दर से देय है, किन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा बिना किसी आधार के मनमाना अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अवैधानिकता की गई है, जो कि अधिनियम के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति रूपये 2,76,000/- नीलामी में 35 माह की अवधि के लिए रूपये 613/- मासिक किराये पर ली गई है । प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मध्य जो दस्तावेज निष्पादित हुआ है, वह 10/- मुद्रा पत्र पर है, जो कि न्यून मूल्यांकित है । अत: कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मध्य निष्पादित विलेख की विषय-वस्तु को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नाधीन विलेख को पट्टा अनुबंध पत्र मानते हुए आवेदकगण को अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 33(ग) के अनुसार कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 20,984/- जमा करने के आदेश दिये गये । चूंकि आवेदकगण द्वारा कर अपवंचन किया गया था, अत: कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत रूपये 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 35,984/-

जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टैाम्प का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 9-8-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर